प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–20.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **25 वाहनों से मु0– 4600 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–25 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 13 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 20.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामपाल गौतम पुत्र शिव प्रसाद नि0 जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–117/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मायाराम पुत्र विष्णु प्रसाद नि0 भरहू भठ्ठा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–170/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट में थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत थाना मोतीगंज से अभियुक्त संजय कुमार पुत्र किशोरी लाल नि0 ग्राम छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर मु0अ0सं0–96/19, धारा–4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 07 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 70 ली0 अवैध कच्ची शराब।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।

सराहनीय प्रेस नोट जनपद गोण्डा दिनांक 20.04.2019

पुलिस मुठभेड़ में 03 अन्तर्जनपदीय गौ तस्कर गिरफ्तार, 17 गौवंश़ बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. मेहताब पुत्र रियाज निवासी पूरे घासी खां का पुरवा मौजा कचनहा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
02. रोशन पुत्र अब्दुल मजीद अंसारी निवासी ग्राम पटैला थाना खुटहन जनपद जौनपुर।
03. अनुवार अली पुत्र जब्बार अली निवासी सुल्तानपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–121/19 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा बनाम उपरोक्त 03 अभियुक्तगण।
02. मु0अ0सं0–118/19 धारा 307 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा बनाम उपरोक्त 03 अभियुक्तगण।
03. मु0अ0सं0–119/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा बनाम मेहताब उपरोक्त।
04. मु0अ0सं0–120/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा बनाम रोशन उपरोक्त।

बरामदगी–

01. 17 अदद जीवित गौवंश व 02 अदद मृत गौवंश बरामद।
02. 01 अदद ट्रक नं0. यूपी 72 इ 8300।
03. 01 अदद ह्युंडई कार नं0. एमएच 48 एफ 3271।
04. 02 अदद तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0 सिंह द्वारा जनपद में लगातार मिल रही अवैध पशु तस्करी की सूचना के सम्बन्ध में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को इसे तत्काल रोकने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में आज दिनांक 20.04.2019 को निरीक्षक अपराध थाना नवाबगंज सुखबीर सिंह भदौरिया मय हमराह फोर्स के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर बहद ग्राम गोकुला के पास से गौवंशो को काटने के उद्वेश्य से ट्रक में लाद कर ले जा रहे है। इस सूचना पर निरीक्षक अपराध थाना नवाबगंज मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर मौके पर पहुॅचकर उक्त ट्रक को रोकने का इशारा किया तो, ट्रक में बैठे हुए लोगो ने पुलिसबल पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। अपने को बचाते हुए पुलिसबल ने ट्रक को रोककर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उस ट्रक में लदे 17 जीवित व 02 मृत गौवंशीय पशुओं को बरामद किया। अभियुक्तगणों को विधिक कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. निरीक्षक अपराध सुखबीर सिंह भदौरिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 मदनलाल गौतम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. हेड का0 भानु प्रताप सिंह थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
05. हेड का0 सुधाकर शर्मा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
06. हेड का0 अखिलेश सिंह थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
07. का0 कलेंदर यादव थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।